न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र,

(आर.ए.एस.)

गैनु अल प्र.सं. : 04 / 2020

जीसीएमएस : 2020 / 00062

1. हरपालसिंह वल्द महताबसिंह जाति कश्मीरी ब्राहम्ण सिख साकिन मकान नं. 106 दुर्गा मंदिर के सामने वार्ड नं. 10 रायसिंहनगर।
2. प्रीतमसिंह वल्द लछमनसिंह कौम ब्राहम्णसिख साकिन नकियां तहसील व जिला पठानकोट (पंजाब)।

   2/1 दर्शनकौर बेवा प्रीतमसिंह कौम ब्राहम्ण सिख साकिन नकियां, तहसील व जिला पठानकोट (पंजाब)।

   2/2 जसपालसिंह वल्द प्रीतमसिंह कौम ब्राहम्ण सिख साकिन नकियां, तहसील व जिला पठानकोट (पंजाब)।

   2/3 गुरचरणसिंह वल्द प्रीतमसिंह कौम ब्राहम्ण सिख साकिन नकियां, तहसील व जिला पठानकोट (पंजाब)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. हंसराज वल्द हजारीराम कौम बिश्नोई साकिन ढाणी 19 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर।
2. अरविंद कुमार वल्द सत्यपाल कौम बिश्नोई साकिन 19 एनपी तहसील रायसिंहनगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :— रजू दिनांक:—13.03.2020

1.श्री हरपालसिंह अधिवक्ता अपीलांट।

2.श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1।

3. श्रीहेतराम बिश्नोई , अधिवक्ता रेस्पोंडेंटसं. 2।

—: निर्णय:— दिनांक :—10.02.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि''पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सन 1947 में आए विस्थापितों को अपनी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छोडी भूमि की आय के ऐवज में गुजर—बसर करने हेतु भूमि आवंटन के लिए जम्मू—कश्मीर निष्कांत (संपत्ति प्रशासन) अधिनियम बनाया गया। जिस अधिनियम के तहत जम्मू—कश्मीर सरकार के केबिनेट ऑडर संख्या 913 सी दिनांक 07.081951 के अनुसरण में रायसिंहनगर के एन.पी. क्षेत्र में भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय द्वारा कृषि भूमि आरक्षित कर ऐसे विस्थापित परिवारों को पारिवारिक इकाई मानकर आवंटित की गई। जिस क्रम मे अपीलर्थी संख्या 1 के दादा व 2 के पिता लछमनसिंह परिवार को दिनांक 20.08.1952 को ग्राम 19 एनपी के मु.नं.46 पुराना नया 44 (171/342) के कि.नं. 1 ता 25 की 24 बीघा नहरी भूमि का आवंटन हुआ। यह आवंटन परिवार के 5 सदस्यों लछमनसिंह स्वयं, दर्शनकौर पत्नी, महताबसिंह पुत्र, पीतमसिंह पुत्र, व दीपकौर पुत्री को हुआ। सन 1953 में दीपकौर का विवाह होने के कारण दीपकौर लछमनसिंह के परिवार को छोडकर अपने ससुराल चली गई। जिस भूमि के [illegible] की सनद लछमनसिंह के नाम से परिवार का मुखिया होने के का[illegible] गई। दिनांक 22.06.1964 को लछमनसिंह की मृत्यु [illegible]कौर के आवेदन पर बदोबस्त विभाग के द्वारा [illegible]जस्थान का[illegible] अधिनियम के तहत लछमनसिंह का हित्त लछमनसिंह [illegible] होने के प्रावधान की रोशनी में नियम 15 [illegible] (2) [illegible] व्यक्ति भूमि आवंटन नियम के तहत मृतक लछमनसिंह की भूमि का विरासतन इंतकाल मृतक लछमनसिंह के मूल आवंटी परिवार के शेष सदस्यों व कृषि भूमि के

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:43:25 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

उत्तराधिकारियों दर्शनकौर, महताबसिंह व प्रीतमसिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर कर दिया गय। दिनांक 03.021988 को दर्शनकौर व दिनांक 10.071990 को महताबसिंह की मृत्यु हो गई। इसके उपरात प्रत्यर्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत करड़वाली के सरपंच से मृतक दर्शनकौर का वारिस प्रमाण पत्र बनाया गया। जिसमें दर्शनकौर के 7 पुत्र व 2 पुत्री होना दर्शाए गए और इस वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने हक मे दर्शनकौर के हिस्सा की भूमि का विरासतन इन्तकाल संख्या 32 दिनांक 10.02.1991 को ग्राम पंचायत करड़वाली के सरपंच व उपसरपंच से तस्दीक करवाकर जमाबन्दी में अमलदरामद करवाया गया "जिस इन्तकाल के विरूद्व अपीलार्थीगण यह अपील प्रस्तुत कर रहे है। कि ग्राम पंचायत करडवाली के सरपंच व उप सरपंच का निर्णय विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सर्वथा विपरीत हाने के कारण काबिल इखराजी है। सरपंच द्वारा जो मृतका दर्शनकौर के 7 पुत्र व 2 पुत्री होने का वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया था। वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का विरासतन इन्तकाल मृतका दर्शनकौर के 9 पुत्र पुत्रियों के हक में नहीं होना था। क्योंकि इस भूमि पर जम्मू कश्मीर विस्थापित व्यक्ति भूमि आवंटन नियम प्रभावशील थे और जिसकी धारा 15 बी (2) में स्पष्ट प्रावधान है कि आवंटी की मृत्यु उपरात उकसा हित्त परिवार के ऐसे सदस्यों को अवतरित होगा जो मूल आवंटन के समय आवंटन में भागीदार थे और आवंटी परिवार मे बतौर सदस्य मौजूद थे। दर्शनकौर की मृत्यु के समय मूल आवंटी सदस्य महताबसिंह व प्रीतमसिंह ही मृतका दर्शनकौर के परिवार के सदस्य थे। इस प्रकार दर्शनकौर का हित्त केवल 2 पुत्रों महताबसिंह व प्रीतमसिंह को अवतरित होना था। क्योंकि दीपकौर भी अपने विवाह द्वारा लछमनसिंह के जीवन काल में ही दर्शन कौर परिवार को छोड़कर अपने ससुराल चली गई थीं। दर्शन कौर के विरासतन इन्तकाल के समय महताबसिंह की मृत्यु हो चुकी थीं और जिनका सीन अपीलर्थी हरपालसिंह ले चुका था। लछमनसिंह की अन्य सभी संतान त्रिलोकसिंह उर्फ तिरलोकसिंह, जीतसिंह उर्फ अजीतसिंह, निर्मलसिंह उर्फ निरमलसिंह, संतोखसिंह उर्फ संतोकसिंह एवं अमरीकसिंह उर्फ अमृतसिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ही लछमनसिंह से भूमि पृथक बंटवा ली थी ओर जिस बंटवारा के आधार पर ही शेष पांचों पुत्रों के सेना के राहत शिविर योल कैम्प जिला कांगडा (हिमाचल प्रदेश) में विस्थापित कार्ड के रूप में मान्यता प्राप्त पृथक राशन कार्ड बनाए जाकर पृथक परिवार के रूप में बतौर विस्थापित पंजीकृत किया गया था। जिस पृथक पंजीकरण के आधार पर ही इन पांचों पुत्रों को लछमनसिंह के आवंटन के रोज ही दिनांक 20.08.1952 को इसी ग्राम 19 एनपी में अपनी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लछमनसिंह के बंटवारा से प्राप्त भू मि की आय के ऐवज में अपने-अपने पारिवारिक सदस्यों की संख्या के हिसाब से पृथक आवंटन हुए थे और जिस पर वे आवंटन दिनांक से ही एकल व स्वतन्त्र रूप से काबिज है। इसी प्रकार दर्शनकौर की पुत्री बलवन्तकौर की शादी राजस्थान आने से पूर्व ही होने के कारण बलवन्तकौर को ग्राम परिड़हाल तहसील नगरो परोल जिला कठूआ (जम्मूकश्मीर) में भूमि आवंटन किया। हालांकि 15 बी (2) क अनुसार पुत्री जब भी विवाहित होकर आवंटी परिवार से पृथक हो जाती है तो उसका हित्त विस्थापित भूमि से समाप्त हो जाता है। सरपंच को अपीलकृत इन्तकाल तस्दीक करने को कोई अधिकार नहीं था। विरासतन इंतकाल को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है इस वजह से अपीलकृत इन्तकाल प्रारंभ से अवैध व शून्य है। वारिस प्रमाण पत्र बहैसियत कार्यवाहक सरपंच उप सरपंच संतोखसिंह (दर्शनकौर के पुत्र) द्वारा ही दर्शनकौर, महताबसिंह व प्रीतमसिंह को वादग्रस्त भूमि का वारिस होने के संदर्भ में जारी किया गया। मृतक दर्शनकौर का विरासतन इन्तकाल [illegible] बराबर-बराबर होना था। लेकिन सरपंच द्वारा दर्शनकौर के पुत्र व पुत्रियों [illegible] अनुसार वादग्रस्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल तस्दीक कर विधि की मूल की [illegible] मृतक दर्शनकौर के पुत्रों त्रिलोकसिंह व जीतसिंह की मृत्यु [illegible] इस प्रकार मृतकों के पक्ष में विरास्तन इन्त[illegible] दर्शनकौर के शेष पुत्रो निर्मलसिंह, सन्तोखसिंह व अमरीकसिंह की मृत्यु हो चुकी है, निर्मलसिंह स्वयं तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:43:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

सन्तोखसिंह व अमरीकसिंह के वारिसानों तथा दोनों पुत्रियों द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि जरिये पंजीकृत बैरनामा विक्रय की जा चुकी है। दर्शनकौर की 8 बीघा भूमि में से .018बीघा (.225 हैक्टेयर) भूमि प्रीतमसिंह तथा 1.15 बीघा (.445 हैक्टेयर) भूमि हरपालसिंह को जिसमें से .017 बीघा (.220 हैक्टेयर) भूमि मृतक अमरीकसिंह के वारिसान द्वारा हक त्याग भी शामिल) प्राप्त हुई है। इस प्रकार शेष 1.02 बीघा (.275 हैक्टेयर) भूमि का हंसराज तथा 4.05 बीघा(1.080हैक्टेयर) भूमि का अरविन्द कुमार अंतिम खरीददार है। जिन खरीददारान का नाम जमाबंदी में अमल दरामद है। प्रत्यर्थीगण के नाम 5.07 बीघा(1.355 हैक्टेयर) भूमि में हरपालसिंह को 2.05 बीघा (.568 हैक्टेयर) व प्रीतमसिंह को 3.02 बीघा (.787 हैक्टेयर) भूमि आनी है इस प्रकार वादग्रस्त इन्तकाल क अपील के माध्यम से अनुतोष पाने का अपीलार्थीगण का अधिकार वर्तमान में हंसराज व अरविन्द कुमार के विरूद्ध पृथकतः–पृथकत व सिद्व है। इस प्रकार यदि अपील स्वीकार की जाती है तो आदेश 41 नियम 20 सीपीसी के अर्थों में हंसराज व अरविन्द कुमार ही अपील के परिणाम से हितबद्व है। अपीलकृत इन्तकाल तरदीक क समय अपीलर्थी संख्या 1 नाबालिग था व अपीलथी संख्या 2 राजस्थान छोडकर परिवार सहित स्थाई निवास हेतु जम्मू कश्मीर चला गया था इस वजह से वादग्रस्त इन्तकाल का अपीलर्थीगण को ज्ञान न हो सका। इसके अलावा जम्मूकश्मीर विस्थापित व्यक्ति भूमि आवंटन नियम ऐसी विधि है। जो सामान्य राजस्थान में प्रचलित नहीं है। इस कारण अपीलथीगण को यह भी ज्ञान नहीं था कि मृतका दर्शनकौर के हिस्से के वारिस केवल अपीलर्थीगण बहिस्सा बराबर है। श्रीमान् संभागीय आयुक्त जम्मू (जम्मू–कश्मीर) के .द्वारा इस अज्ञानता के तथ्य को समझकर दिनांक 03.07.1918 को एक परिपत्र जारी कर अपनी बेबसाईट पर डाला गया। जो परिपत्र अपीलर्थी संख्या 1 के द्वारा माह जून 2019 में देखने ओर प्रांतीय पुनर्वास अधिकारी जम्मू कार्यालय से इसकी सही अर्थ जानकर व व्याख्या करवाकर अपीलर्थी संख्या 1 को दर्शनकौर के हिस्सें के अपीलर्थीगण हकदार होने ककी जानकारी हुई तब अपीलर्थीगण द्वारा मृतका दर्शनकौर के समस्त हिस्सा पर अपने बहिस्सा बराबर काश्तकारी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् दिनांक 28.06.2019 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर में वाद हरपालसिंह बनाम धर्मपालसिंह प्रस्तुत किया गयां और अपीलकृत इनतकाल की नकल हासिल की गई। जिस वाद के विचारण के दौरान अपीलर्थीगण को ज्ञान हुआ कि वादग्रस्त इन्तकाल की अपील भी अपीलर्थीगण को करनी चाहिए। इस प्रकार अपीलर्थीगण द्वारा इसी विवाद्य विषय के संदर्भ मे अन्य सिविल कार्यवाही सम्यक तत्परता से सद्भावनापूर्वक अभियोजत कर रहे है इस प्रकार अपीलर्थीगण के पास इन्तकाल की दिनांक से आज तक अपील पेश न करने का पर्याप्त हेतुक रहा है सरपंच व उपसरपंच द्वारा बिना ग्राम पंचायत प्रस्ताव स्वीकृति के तस्दीक इंतकाल प्रारम्भ से अकृत व शून्य है जिसके लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है फिर भी अपील समय दिनांक 10.02.1991 से आज तक विस्तार के लिए धारा 87 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 5 परिसीमा अधिनियम आवेदन अलग से प्रस्तुत किया गया। अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार और उचित न्याय शुल्क 2 रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है अतः अपील अपीलथीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलथीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधिन[illegible] द्वारा दिनांक 10.02.1991 को तस्दीक विरासत इन्तकाल संख्या [illegible]9 एनपी को अपास्त करते हुए मृतका दर्शनकौर के हिस्से की भूमि [illegible] अपीलर्थीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर तस्दीक [illegible] जावे।

2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट [illegible] को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 2 की तरफ से श्री [illegible] अधिवक्ता हाजिर आये व प्रार्थना पत्र अ.धा. 87 भू राजस्व अधि. व धारा 5 मियाद [illegible] प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा नाबालिग होने का कथन करना व जम्मू कश्मीर जाने का कथन निराधार व गलत वर्णित किया हे। प्रार्थीगण को दर्शनकौर द्वारा अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:43:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

AnyScanner

अपीलान्ट हरपालसिंह की जन्मतिथि 17.05.1973 दर्शायी है इस कारण नामान्तरण स्वीकृति के समय इनकी आयु 17 साल 9 माह के लगभग थी। लगभग 3 माह बाद बालिग हो गये थे जबकि अपील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.03.2020 को पेश की गई है। 29 साल देरी से अपील करने का कोई तार्किक कारण पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। बलबन्तकौर व निर्मलसिंह द्वारा किये बैयनामा दिनांक 27.10.1999 में पहचानकर्ता व गवाह के रूप में अपीलार्थी सं. 1 के स्वयं के हस्ताक्षर है अतः अपील अपीलार्थी समयावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज किया जाना उचित है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी में उपलब्ध दस्तावेजों, विद्वान अधिवक्तागण के कथनों व तथ्यों पर अस्वीकार/खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:43:25 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner